



AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"



प्रेस नोट थाना कागारौल जनपद आगरा। दिनांक 31.07.2022

थाना कागारौल पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटनाओं को अन्जाम देने वाले 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से पीली धातु व सफेद धातु के जेवरात, नगदी व 01 तमन्चा मय 03 कारतूस बरामद

जनपद में चोरी, लूट, डकैती आदि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी अछनेरा के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कागारौल को टीम गठित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 31.07.2022 को थाना पुलिस टीम द्वारा किरावली तिराहा पर चैकिंग की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि थाना क्षेत्र में चोरी की घटना करने वाले दो चोर चोरी का सामान लिये गढमुक्खा मोड़ पर कहीं जाने की फिराक में खड़े हुए हैं, यदि जल्दी की जाये तो गिरफ्तार किये जा सकते हैं।

उपरोक्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम बताये स्थान पर पहुंची। पुलिस टीम द्वारा एक बारगी दबिश देते हुए दोनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 तमन्चा मय 03 कारतूस 315 बोर, कुल रू0 7,600/-, 91 सिक्के 1-1 के, 02 जोड़ी पायल सफेद धातु, 02 जोड़ी पाजेब सफेद धातु, 01 गले का लॉकेट पीली धातु बरामद हुये।

पूछताछ का विवरण :-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम राजकुमार व रामचरन बताया गया। बरामदगी के सम्बन्ध में बताया गया कि हम लोग चोरी की घटनाओं को अन्जाम देते हैं। घटनाओं के सम्बन्ध में राजकुमार द्वारा बताया गया कि दिनांक 6/7.5.2022 की रात्रि ग्राम रिठौरी में पप्पू के घर में घुस कर मैंने, रामचरन व चन्द्रपाल ने मिलकर अलमारी का ताला तोड़ कर सोने चाँदी के आभूषण व रुपयों की चोरी की थी।

दिनांक 19/20.06.2022 को हम तीनों ने मिलकर दिगरौता मंदिर से दानपात्र की पेटिका को चोरी कर ले गये थे।

बरामद पायल सफेद धातु व गले का लोकेट पीली धातु व रुपयों के सम्बन्ध में बताया गया कि दिनांक 23/24.06.2022 को मैंने व रामचरन ने मिलकर नगला हिस बरबर थाना क्षेत्र खेरागढ से 65000 रुपयो व सोने चाँदी के आभूषण चोरी किये थे। आभूषणों को मैंने राह चलते राहगीर को बेच दिया था।

बरामद जेवरात व रूपये उपरोक्त चोरियों में से शेष बचे हुए हैं एवं अन्य सामान को हम लोगों ने राह चलते लोगों को बेच दिया था।

अभियुक्तगण का नाम :-

01. राजकुमार पुत्र कालीचरन निवासी नगला हरलाल मौजा रिठौरी कटरा कागारौल आगरा।
02. रामचरन पुत्र पिद्दी निवासी रिठौरी कटरा थाना कागारौल जिला आगरा।

बरामदगी का विवरण :-

01. 01 तमन्चा मय 03 कारतूस 315 बोर।
02. कुल रू0 7,600/- ।
03. 91 सिक्के 1-1 के।
04. 02 जोड़ी पायल सफेद धातु।
05. 02 जोड़ी पाजेब सफेद धातु।
06. 01 गले का लॉकेट पीली धातु।

आपराधिक इतिहास का विवरण :-

अभियुक्त राजकुमार

01. मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 55/2022 धारा 457/380/411 आईपीसी थाना कागारौल जनपद आगरा।
02. मु0अ0सं0 73/2022 धारा 379/427/411 आईपीसी थाना कागारौल जनपद आगरा।
03. मु0अ0सं0 90/2022 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट थाना कागारौल जनपद आगरा।

अभियुक्त रामचरन

01. मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 55/2022 धारा 457/380/411 आईपीसी थाना कागारौल जनपद आगरा।
02. मु0अ0सं0 73/2022 धारा 379/427/411 आईपीसी थाना कागारौल जनपद आगरा।
03. मु0अ0सं0 91/2022 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट थाना कागारौल जनपद आगरा।

पुलिस टीम का विवरण :-

01. थानाध्यक्ष श्री अजय तोमर थाना कागारौल जनपद आगरा।
02. उ0नि0 श्री पुनीत कुमार थाना कागारौल जनपद आगरा।
03. का0 परविन्दर थाना कागारौल जनपद आगरा।
04. का0 मनीष कुमार थाना कागारौल जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।